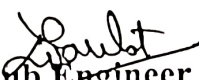


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, BHILAI
NIT

NAME OF WORK :-प्लेसमेंट के माध्यम से विद्युत कर्मचारी प्रदाय कार्य।

S.NO.	DESCRIPTIONS	QTY	RATE	AMOUNT
1	कुशल श्रमिक	2		

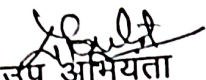

Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई
भवन संधारण विभाग
// नियम एवं शर्तें //

कार्य का नाम :- प्लेसमेंट के माध्यम से विद्युत कर्मचारी प्रदाय कार्य।

1. निविदाकार को छ.ग. राज्य में प्रचलित श्रम कानून का पूर्णता: कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, श्रमिकों को श्रमायुक्त दुर्ग द्वारा निर्धारित दर से भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार पर होगी। किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित निविदाकार के विरुद्ध श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. विद्युत संधारण हेतु विद्युत श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु ई-पंजीकृत विद्युत ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की जाती है।
3. निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश जारी होन के 03 दिन के भीतर श्रमिक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. कर्मचारियों को श्रम कानून के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगा।
5. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिकों को निर्धारित किए गए 08 घंटे के कार्य अविध के लिए उपलब्ध कराना होगा। जिसकी 02 बार उपस्थिति जांच की जावेगी 01 बार भी अनुपस्थिति होने पर उक्त दिवस के पूरे समय अनुपस्थित मानकर श्रमिक की पारिश्रमिक में कटौती कर दी जावेगी।
6. 18 वर्ष के कम आयु के कामगार काम पर नहीं रखे जाएंगे।
7. विद्युत संधारण हेतु श्रमिक निगम द्वारा निर्धारित स्थान में उपलब्ध कराना होगा एवं श्रमिकों को आवश्यक उपकरण कटिंग पलायर/पेचकस/टेस्टर/हैंड ग्लोव आदि कार्य प्रारंभ के पूर्व निविदाकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. अनुबंधित एजेंसी द्वारा कार्य पर लगाए गए श्रमिकों को अस्थाई ठंड में गर्म वर्दी एवं बरसात में रेनकोट गम बूट एवं टोपी इत्यादि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अनुशासन बना कर कार्य करना होगा। यदि किसी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचित करने पर 24 घंटे के अंदर उसे हटाकर अन्य कर्मचारी नियुक्त करना होगा।
10. अनुबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिकों के कार्य करने से निगम को कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली अनुबंधित एजेंसी को भुगतान किए जाने वाले देयको से कटौती की जावेगी।
11. किसी आकस्मिक घटना/दुर्घटना की जवाबदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
12. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत देयक से समस्त करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जाएगा।
13. अनुबंधित एजेंसी को हर माह की 10 तारीख तक प्लेसमेंट कर्मचारी का भुगतान बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।
14. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।

15. सहायक श्रमायुक्त की दर से समकक्ष अथवा कम होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी एवं एजेंसी द्वारा अपना चार्जस नहीं जोड़ने पर निविदा दर मान्य नहीं की जावेगी।
16. विद्युत संधारण कार्य में लगने वाले समस्त कर्मचारियों को परिचय पत्र एजेंसी द्वारा प्रदान किया जावेगा।
17. श्रमिकों की उपस्थिति निष्ठा एप में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
18. किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।


उप अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई